

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा

विषय:- एल.आर.एक्ट अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत शुद्ध करने बाबत।

महोदय निवेदन है कि ग्राम रामपुर जमाबन्दी सं. 2073-7 के खाता सं. 895 में दर्ज खातेदारान के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज को निम्नानुसार शुद्ध किया जाने की कृपा करें।

खतोनी भू प्रबन्ध/सं. की खाता सं.	खतोनी भू प्रबन्ध/सम्बन्ध के अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबन्दी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज(शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
1	रामपुर	895 2073-7	जावेदी वरुण परमी रमेश रमेश दि. 1/18 जाति नायक रमा देव खातेदार	शुद्धी परमी रमेश दि. 1/18 जाति नायक रमा देव खातेदार

प्रार्थी व गवाह का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण:-

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

हस्ताक्षर

शुद्धी परमी

रमेश

जाति नायक

रिपोर्ट पटवारी

प्रार्थी के आवेदन अनुसार राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी/भू प्रबन्ध जमाबन्दी एवं वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी

प.म. 2021

रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई प्रस्तावित शुद्ध किये जाने योग्य है।

भू अभिलेख निरीक्षक

भू 0अ0नि0वृत्त 3134

रिपोर्ट तहसीलदार

महोदय रिपोर्ट पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार नायक तहसीलदार

आदेश

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

दिनांक: 22.10.21 प्रस्ताव

अनुसार सारणी के कॉलम 5 में अंकित इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना स्वीकार है। पटवारी हल्का रामपुर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करना सुनिश्चित करें।

(सन्तोष कुमार शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

जिला झालावाड (राज.)

पिड़ावा जिला झालावाड


प्रशासन गांव के संग 2021



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अक्षर हुकम पं.
29/8/21	दि. 23/05/21 को 310/2017 दि. 21/8/21 पत्रावली के तहत। बतौर एम्बेस्सी उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दि. 21/8/21 अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/08/21 को केस नं.	
29/8/21	<p>पत्रावली काज रामपुर सिविल में केस नं. 2728 काज पत्रावली रामपुर ले प्राप्त रिपोर्ट अनुसार काज रामपुर के नाम ले. 2728 दि. 20.03.2015 में मृतक क. ई. म. लाल का भतीजा नाम. में उसके वारिस मृतक का रमेश के राजे में उनकी बेटी का नाम सहवत पार्वतीबाई रूने हो गया जबकि मृतक रमेश की बेटी का सही नाम मुन्डीबाई है। आसफ मर्द, जो आसफ एक राजा का है में अपील का सही नाम मुन्डीबाई रूने है अतः अपील का नाम सही सिद्धे जाने योग्य है।</p> <p>पत्रावली का अखलास सिद्धा गया अपील मृतक रमेश की बेटी है सिद्धा अन्य इलाके में अनुसार सही नाम मुन्डीबाई है परन्तु नाम. में गलत नाम पार्वतीबाई रूने हो गया जिसे सही सिद्धा जाना जापोजित है। TDR रामपुर द्वारा धारा 136 L.A.A. के तहत जांच का नाम सही कर डियरी कर. प्रस्तुत अपील</p>	

दि. मुन्डीबाई

 रीना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>वही स्तर पर विस्तारित की जाये पत्रायकी मैजल बुनाए होकर राखे कपलर हो।</p> <p> (सन्तोष कुमार मीना) सपखण्ड अधिकारी बिडावा विना सालावाड़ प्रशासन मय क संग 2021</p>	